प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
स्वरोजगार सम्मेलन
05 मार्च, 2019
विद्यालय मेदान, अहमदाबाद

Launch of "JOBSinMP" Portal
Sh. Arif Aqueel
Hon. Minister
Department of Micro, Small & Medium Enterprise,
Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department,
Backward Classes and Minorities Welfare Department

Iqbal Maidan Bhopal
Date: 5th March 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018-19
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>अध्याय</th>
<th>पृष्ठ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01.</td>
<td>प्रभारी मंत्री एवं विभाग में पदस्थ अध्यक्ष पदाधिकारी/अधिकारी</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>02.</td>
<td>भाग - एक विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्याकी</td>
<td>02-31</td>
</tr>
<tr>
<td>03.</td>
<td>भाग - दो बजट विहिंगावलोकन</td>
<td>32-33</td>
</tr>
<tr>
<td>04.</td>
<td>भाग - तीन राज्य योजना एवं केंद्र नियुक्ति योजना</td>
<td>34-39</td>
</tr>
<tr>
<td>05.</td>
<td>भाग - चार सामान्य प्रशासनिक विषय</td>
<td>40-48</td>
</tr>
<tr>
<td>06.</td>
<td>भाग - पाँच अभिनव योजना</td>
<td>49-50</td>
</tr>
<tr>
<td>07.</td>
<td>भाग - छः विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन</td>
<td>51-53</td>
</tr>
<tr>
<td>08.</td>
<td>भाग - सात सारांश</td>
<td>54-55</td>
</tr>
<tr>
<td>09.</td>
<td>भाग - आठ महिलाओं के लिए किए गए कार्य</td>
<td>56</td>
</tr>
</tbody>
</table>
विभाग का नाम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रभारी मंत्री : माननीय श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (दिनांक 03.07.2016 से 11.12.2018 तक)
                    माननीय श्री आरफ अकील (दिनांक 28.12.2018 से निरंतर)

प्रमुख सचिव : श्री दी. एल. कान्ता राय (दिनांक 02.08.2017 से 13.07.2018 तक)
                      डॉ. राजेश राजीरा (दिनांक 13.07.2018 से 23.07.2018 तक)
                      श्री पंकज अग्रवाल (दिनांक 23.07.2018 से 18.01.2019 तक)
                      श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से निरंतर)

उप सचिव : श्री धनन्य सिंह भद्दीरिया (दिनांक 07.03.2017 से 12.09.2018 तक)
                    श्री रघुधर सिंह (दिनांक 14.09.2018 से 22.02.2019 तक)
                    श्री पर्वत सिंह (दिनांक 06.05.2016 से निरंतर)

विशेष क्षेत्रीय सचिव

उप सचिव : श्री रघुनाथ जैन (दिनांक 05.04.2016 से निरंतर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग : श्री दी. एल. कान्ता राय (दिनांक 02.08.2017 से 13.07.2018 तक)

आयुक्त

आयुक्त : डॉ. राजेश राजीरा (दिनांक 13.07.2018 से 23.07.2018 तक)
                   श्री पंकज अग्रवाल (दिनांक 23.07.2018 से 18.01.2019 तक)
                   श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से निरंतर)

म. प्र. राज्य लघु उद्योग निगम

अध्यक्ष : माननीय श्री बाबू सिंह रघुवंशी (दिनांक 26.03.2016 से 11.12.2018 तक)

प्रबंध : श्री दी. एल. कान्ता राय (दिनांक 02.08.2017 से 13.07.2018 तक)

संचालक : डॉ. राजेश राजीरा (दिनांक 13.07.2018 से 23.07.2018 तक)
                   श्री पंकज अग्रवाल (दिनांक 23.07.2018 से 18.01.2019 तक)
                   श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से निरंतर)

ग्यालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

अध्यक्ष : श्री वी. एम. शर्मा (दिनांक 04.12.2017 से निरंतर)

सचिव : श्री पी. सी. वर्मा (दिनांक 01.03.2018 से निरंतर)
भाग - एक
विभागीय संरचना

मंत्री

प्रमुख सचिव

उद्योग आयुक्त

लिगम एवं प्राधिकरण

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय (७)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (५४)

मध्यप्रदेश लघु उद्योग लिगम लिमिटेड

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

मध्यप्रदेश ट्रेड फेरर अर्थोरिटी

क्षेत्रीय विपणन कार्यालय

मृगनयनी एम्पोरियम

परीक्षण प्रयोगशालाए
सामान्य जानकारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियाँ बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ग्रामीण अधिकारिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरों का विकास भी करता है। स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सकें।

2. विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक विभागाध्यक्ष हैं :-

(1) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश

3. वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक प्राधिकरण निर्माननुसार है :-

(1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड
(2) ग्लाइयर ट्यापार मेला प्राधिकरण

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का अधिनियम

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।
• उद्योग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान।
• आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्योग को परिभाषित करना।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में शुल्कतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
• राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
• लघु उद्योगों के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण - प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में पूँजीव्ययन के अधिकतम सीमा के आधार पर परिभाषित (मैन्युफैक्चरिंग) तथा सेवा (सर्विस) उद्यम को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्गीकरण</th>
<th>मैन्युफैक्चरिंग पूँजीव्ययन सीमा</th>
<th>सर्विस सेक्टर पूँजीव्ययन सीमा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सूक्ष्म उद्यम</td>
<td>रू. 25 लाख तक</td>
<td>रू. 10 लाख तक</td>
</tr>
<tr>
<td>लघु उद्यम</td>
<td>रू. 25 लाख से अधिक व रू. 5 करोड़ तक</td>
<td>रू. 10 लाख से अधिक व रू. 2 करोड़ तक</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्यम उद्यम</td>
<td>रू. 5 करोड़ से अधिक व रू. 10 करोड़ तक</td>
<td>रू. 2 करोड़ से अधिक व रू. 5 करोड़ तक</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की गतिविधियाँ

- म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 (1 अप्रैल, 2018 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- उद्योग संरचना नीति (एमएसएमई से संबंधित भाग) का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीएफ और स्टार्टअप नीति 2016 का क्रियान्वयन।
- नियमों एवं प्रतियोगिताओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- आयोगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को आयोगिक प्रणाली से अग्री बनाना।
- एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- विशिष्ट रोजगार मूल्यक्ष्य योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।

6. नीति, नियमों, आदेशों व निर्देशों का अंगीकरण

विभागीय आदेश क्रमांक एक 05-03/2016/म-लेखन, दिनांक 16.08.2016 द्वारा विभाग की पूर्वक नीति, नियम, आदेश व निर्देश जारी होने तक तत्काल वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग वर्तमान में आयोगिक नीति एवं निर्देश प्राप्तिशील विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश व निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा अंगिकृत किये गये है।

7. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017

7.1 राज्य शासन द्वारा रोजगार सुधार, समावेशी विकास, एक सक्रिय नीति एवं विभिन्न कार्यक्रम वातावरण बनाने, स्वरूप रोजगार के लिए अवसर पैदा करने और इनके मध्यम से राज्य के समग्र आयोगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई है, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावशील होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान
करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू की गई है। नीति में प्राधान्यता सहायता/सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार म. प्र. के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य है।

7.2 म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 अंतर्गत एमएसएमई हेतु सहायता/अनुदान :

(i) उद्योग विकास अनुदान - सूक्ष्म, लघु और मध्यम वित्तियां उद्योगों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 सालांका वार्षिक किशों में प्रदान किया जाएगा।

(ii) इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता - यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के वित्तियां उद्योग की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अधिकतम शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है तो ऐसी इकाइयों को राज्य शासन द्वारा इकाई परिसर तक पानी, सड़क और विज्ञान के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रूपये 25 लाख प्रदान की जाएगी।

(iii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता - औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना में निवेश के लिये 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपये प्रदान की जाएगी।

(iv) निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बुड़मंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता - पूर्व अनुमति प्राप्त कर संस्था/ऐजेंसी/निवेशक द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बुड़मंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु व्यय की गई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ या बुड़मंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से
कम 10000 वर्ग फीट होना आवश्यक है और इनमें कम से कम पांच औद्योगिक इकाइयां कार्यरत होना चाहिए।

(v) अंशदायी भविष्य निष्ठा (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति वई औद्योगिक इकाइयों, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रुपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा सकेंगे, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के नियोक्ता के अंश की शत प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिये या अधिकतम रु. 5 लाख (इनमें से या भी कम हो) प्रदान की जाएगी।

(vi) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति - गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रु. 3 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(vii) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति - राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किए गये उत्पादों/उत्पादन प्रक्रियाओं का पेटेंट/आईपीआर करने पर हुए व्यय का शतप्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 5 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(viii) पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता - भारत सरकार की INSITU अप्प्रोडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किए गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के पश्चात, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई सहायता प्रदान की जाएगी।

8. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016

8.1 भारत सरकार के 'स्टार्टअप इंडिया' विज्ञ के साथ तालमेल रखते हुये एक अनुकूल, अभिव्यक्त और तकनीकी उपभोक्ता परिस्थितियों का तंत्र की परिकल्पना को साकार करने हेतु म. प्र. इंक्यूबेशन एवं
स्टार्टअप नीति 2016’ के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को पोषित और बढाया दिया जा रहा है।

8.2 'म. प्र. इन्क्युबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016' अंतर्गत एमएसएमई हेतु प्रमुख सहायता/अनुदान

अ. इन्क्युबेटरों को प्रोत्साहन
   i. पूंजी अनुदान
   ii. संचालन सहायता
   iii. स्टार्टअप शुल्क एवं पंजीयन
   iv. सलाह हेतु सहायता
   v. स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता

ब. स्टार्टअप/उद्यमियों को प्रोत्साहन
   i. व्यावसायिक अनुदान
   ii. लोन किराया अनुदान
   iii. पेटेंट/गुंजायता संस्थान अनुदान
   iv. स्टार्टअप विपणन सहायता
   v. क्रेडिटियल विकास सहायता

9. लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

9.1 प्रदेश के एमएसएमई के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव, उद्योग संवर्धन नीति पर सुझाव तथा उपयोगों में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। शासन आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2018 से बोर्ड का पुनःगठन किया गया है। माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग बोर्ड के अध्यक्ष है और एमएसएमई से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में सदस्य बनाया गया है।

9.2 राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है।
10. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेरिसिलिटेशन काउंसिल

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भ्रमण में विलम्ब को रोकने के लिये "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 30 एवं 21 के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फेरिसिलिटेशन काउंसिल का गठन करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अध्याय 11, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेरिसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनांक 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किये गये थे तथा फेरिसिलिटेशन काउंसिल के गठन की अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2007 को जारी कर दी गई थी। फेरिसिलिटेशन काउंसिल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 24.11.2017 से मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेरिसिलिटेशन काउंसिल के कार्यकर्ता को सुविधायुक्त बनाने के लिए नवीन मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेरिसिलिटेशन काउंसिल नियम 2017 जारी किये गये हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यम हेतु भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय एवं औद्योगिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित समिट में प्रदेश की काउंसिल को दो साल की उपलब्धियों एवं बसूली प्रक्रिया के लिए विशेष पुस्तक प्रदान किया गया।

11. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से लागू किया गया है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा नियमों में संशोधन कर उनका सरलीकरण किया गया है।

12. म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, भिन्नपद्धति, पारदर्शिता एवं प्रतिपाद्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है। राज्य
शासन के आदेश दिनांक 05.09.2018 द्वारा नियमों में संशोधन कर म. प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है।

13. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभागीय सेवाएं

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभाग की छ: सेवाएं यथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, व्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति, वेतन एवं सीएससी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से लिपित कराना, अधिसूचित की गई है। साथ सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रक्रिया भी जारी की गई है।

14. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट), भोपाल

सीपेट, भोपाल को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होती है। नये शैक्षणिक भवन एवं बालक छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में सहायता प्रदान की गई है।

15. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट), बोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ग्वालियर

भारत सरकार की परियोजना अंतर्गत ₹. 40.10 करोड़ की लागत से ग्वालियर में बोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें नवंबर, 2016 से अस्थायी भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा इस सेंटर हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अंश 50-50 प्रतिशत है। बोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में सहायता प्रदान की गई है।
16. स्वरोजगार योजनाएं
राज्य शासन द्वारा आदेश द्वारा स्वरोजगार योजनाओं से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृष्ण उद्यमी योजना अंतर्गत महिला स्वसंयोग सामूहिक तथा महिला स्वसंयोग समूहों के लिए सहायता का प्राप्त किया गया।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृष्ण उद्यमी योजना अंतर्गत परियोजना लागत की सीमा को घटाकर 50 हजार किया गया तथा कृष्ण आधारित परियोजनाओं के साथ-साथ उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाओं का इस योजना अंतर्गत मान्य किया गया। साथ ही योजनानलगत मान्य मंत्री एवं व्यापार आनुदान के प्राप्तवय को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार किया गया।
प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में स्टार्टअप के लिए घटक का प्राप्त किया जाकर स्टार्टअप के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना की परियोजनाओं पर लगे हुए प्रतिबंध को शिपिल किया गया है।

17. पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत अनुदान
विभाग द्वारा 150 अथवशकत तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायत रियायती दर पर विद्युत का प्रदाय करवाई जाती है। ऊर्जा विभाग द्वारा पेया के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को 1.25 रूपये प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान कर रियायती दर पर विद्युत प्रदाय की जाती है एवं विभाग द्वारा कुल छूट की राशि की प्रतिपूर्त सौर विभाग को की जाती है।

18. विभाग द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश की एमएसएमई में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक ऑनलाईन प्लेटफॉर्म, jobsinmp.mpmsme.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जोहों एक और प्रदेश की एमएसएमई को उपयुक्त मान्य संसाधन उपलब्ध होंगे वही दूसरी और प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त होगा।
प्रदेश में एमएसएमई भेदु पृथक विभाग का गठन होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास में गति तथा रोजगार सुधार बढ़ा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिसंपर्क में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एमएसएमई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न आयोजन स्थल पर उद्योगपतियों के साथ विचार विमार्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनाये आमंत्रित किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

क. दायित्व

- मध्यप्रदेश के समय आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास एवं व्यापार संरचन के माध्यम से योगदान देना।
- सुंप्ति, लघु और मध्यम उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में इंक्वायरी एवं स्टारटअप के पोषण एवं बढाया देना।
- युग उद्यमों को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्माण वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका लिखना।
- प्रदेश में स्थित वातावरण उद्योगों का विकास एवं पावरलू औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ख. सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में प्रभावी एवं गतिशील औद्योगिकविकास की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की उद्योगपतियों व उद्योगों की स्थापना के कार्य किया जा रहा है। साथ ही विनिर्माण एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जिला कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई विकास नीति 2017
अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का कार्य भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का किरायानवयन किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित कर कार्य में पारदर्शिता लाई गई है।

ग. एमएसएमई का विकास

• सम्मेलन/वर्कशॉप का आयोजन
एमएसएमई का विकास हेतु प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जिलों की एमएसएमई इकाइयों के स्वामियों, ओपरेटिव संघों के प्रतिनिधियों और स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभाभिंत विकासाधारियों की सहभागिता से सम्मेलन/वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें एमएसएमई के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और उद्यम को आगे ले जाने के संबंध में एवं एमएसएमई से जुड़े विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

• क्लस्टर - भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश में निजिलिखित आठ प्रस्तावों पर भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त हुआ है :-

सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) के प्रस्ताव
1. जबलपुर मिष्टान एवं नमकीन क्लस्टर, जबलपुर
2. एण्डोकल्चर इम्प्लोमेंट्स क्लस्टर, खुरै, सागर
3. इंजीनियरिंग क्लस्टर गोविंदपुरा, भोपाल

अध्योपशरण का प्रस्ताव
1. एग्रोवेस्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, सनावद, खरगौं
2. लाख क्लस्टर, आकोड़ी, वालाघाट
3. फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, कचनार, राजगढ़
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल क्लस्टर, चौरंगी, बैतुल
5. फ्लेटेड इण्डस्ट्रीयल स्टेट क्लस्टर, गुना
- टेक्नालॉजी सेंटर एंड एक्सटेंशन सेंटर
  जबलपुर में 01 टेक्नालॉजी सेंटर एंड 8 जिलों यथा छिद्रावाड़ा, ग्वालियर, खरगोन, रतलाम, सागर, सतना, सिंगरी एंड शहडोल में एक्सटेंशन सेंटर हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की ओर प्रेषित किये गये हैं।

ग. लैण्ड एंड ऑयलोनिक क्षेत्रों का विकास

- प्रदेश में उपलब्ध ऑयलोनिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लैण्ड बैंक बनाया गया है, जिससे उचित कर उपयुक्त स्थापित किये जा सकें। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना के लिये हड संकल्पित है। वर्तमान में प्रदेश में 186 ऑयलोनिक क्षेत्र स्थापित है। इनके साथ-साथ अनेक अवकसित भूमियों को चिह्नित किया जाकर उन्हें विकसित किया जा रहा है।

- प्रदेश के अनुपाद जिलों में कदमटोला, उमरिया में बड्डरा, शिवपुरी जिलों में करेशा, उज्जेन जिलों में फराङ्खेड़ी, डिंडोरी जिलों में कोहका, बैतूल जिलों में मोही एंड अलीराजपुर में सेजाड़ा में एक ऑयलोनिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। इस हेतु वर्ष 2018-19 में 3909.76 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

च. एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल

एमएसएमई इकाईयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर प्रदान करने हेतु एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। उद्योग संचालनालय, म.प्र. में एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल (हब) 1 मार्च, 2017 से प्रारंभ हो गया है। इस फेसिलिटेशन सेल में 20 कंसलटेंट कार्य कर रहे हैं तथा उद्योग संचालनालय, म. प्र. में इन कंसलटेंट के मार्गदर्शन हेतु विषय विशेषज्ञों का हब बनाया गया है। इन कंसलटेंट को 20 जिलों में पदस्थत किया गया है और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक माह में सभी जिलों में इसकी पूर्व निर्धारित बैठक एमएसएमई के साथ आयोजित हो। इस प्रकार सभी 51 जिलों इन कंसलटेंट को आवंटित कर सभी जिलों में 'एमएसएमई विजनेस फेसिलिटेशन सेण्टर' स्थापित कर इनके जरिये फेसिलिटेशन का कार्य किया जा रहा है।
छ. स्वरोजगार योजनाएं

- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उदय स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत व्यूहतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये 2 करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितैशीयों को मार्जिनमल सहायता, व्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना में बीपीएल आवेदक एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उदय स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 50 हज़ार से अधिकतम रूपये 10 लाख तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितैशीयों को मार्जिनमल सहायता, व्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

- मुख्यमंत्री कृषिक उद्यमी योजना :- प्रदेश के किसानों के पुत्र/पुत्रियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि परियोजनाओं पर आधारित अपना उदय स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषिक उद्यमी योजना दिनांक 16.11.2017 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 50 हज़ार से अधिकतम रूपये 2 करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और
आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत हिताहितियों को मार्जिनमली सहायता, व्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समन्वित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र स्तर पर योजना की नोडल एजेंसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। प्रदेश स्तर पर योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिए अधिकतम परियोजना लागत रू. 25 लाख तथा सेवा/व्यवसाय के लिए अधिकतम परियोजना लागत रू. 10 लाख हेतु ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उद्योग क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 10 लाख से अधिक होने पर और सेवा क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, आवेदक का न्यूनतम आठवीं उत्तरी ऋण होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत हिताहितियों को शहरी व ग्रामीण के आधार पर मार्जिनमली सहायता का लाभ दिया जाता है।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य

प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाइन सेवाएं एवं जानकारी प्रदान करने हेतु राशि रू. 626.27 लाख की परियोजना लागत से ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है, जो वर्ष 2020-21 तक पूर्ण होगा। प्रथम तीन वर्षों में साफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण एवं बैंकलॉंग डाटा एंट्री का कार्य और शेष तीन वर्षों में विकिस्ट साफ्टवेयर के रखरखाव का कार्य वीप-आईटी द्वारा किया जायेगा। उक्त परियोजना के तहत विभागीय वेबसाइट mpmsme.gov.in (हिन्दी URL : एमपीएमएसएमई.सरकार.भारत) विकिस्ट कर प्रारंभ की गई है। वेबसाइट जी.आई.जी.डब्लू. मापदंडों के अनुरूप विकिस्ट की गई है। विभागीय सुविधाएं चरणबद्ध रूप से उपयोगियों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही है, जिससे विभागीय
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ गई है। उन्हें साथ-साथ एमआईएस प्रणाली भी विकसित की जा रही है। पहले चरण में स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जा रहे हैं। साथ ही औपचारिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन तथा शुल्क का भुगतान शत-प्रतिशत ऑनलाइन किया गया है। इकाइयों को अनुदान प्रदान करने हेतु आवेदन सिगनल विषयों अंतर्गत सेवाओं में शामिल कर ऑनलाइन किये गये हैं। साथ ही एमएसएमई अवार्ड हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन एवं एमएसएफसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का ऑनलाइन मैनेजमेंट प्रारंभ किया गया है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के एनआईसी अंतर्गत ई-मेल पते बनाए गए हैं और उन्हें विकसित साफ्टवेयर के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप

- प्रदेश को स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत लिडर स्टेट के रूप में भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2018 में मान्यता दी गई है।

- 19 जुलाई, 2018 से 03 अगस्त, 2018 के मध्य स्टार्टअप यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के अंतर्गत 08 बूट कैम्प व 13 दैन टॉप्स के माध्यम से लगभग 3000 विधार्थियों/नव उद्योगियों से संपर्क किया गया। 427 नए आयडिया समक्ष में आये, जिनमें से 110 स्टार्टअप के रूप में विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन ऑफर दिए गये।

- प्रदेश में 17 इंक्यूबेशन सेंटर कार्यरत है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर स्टार्टअप की सुविधा हेतु उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही प्रदेश में 31 मार्च, 2019 तक लगभग 450 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये हैं।

- संपूर्ण वर्ष में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये प्रदेशभर में लगातार कार्यशालाएं एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

- महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को विशेष सुविधा दिए जाने हेतु प्रावधान किये गये हैं।
ट. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण

प्रदेश के अशोकनगर एवं पन्ना जिलों में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों ज्ञानां, उमराया, बालाघाट, एवं सिंगरौली के भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

ढ. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

• उद्यमों की स्थापना :-

  वर्ष 2018-19 में कुल 2,97,595 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें ₹ 19284.97 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष रूप से 1030084 व्यवसायिकों को रोजगार मिला है।

  प्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक वर्षावर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पूंजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>वर्ष</th>
<th>संख्या</th>
<th>पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)</th>
<th>रोजगार</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2013-14</td>
<td>18660</td>
<td>612.56</td>
<td>44924</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2014-15</td>
<td>19835</td>
<td>750.04</td>
<td>51571</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2015-16</td>
<td>48179</td>
<td>5171.75</td>
<td>194761</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2016-17</td>
<td>87071</td>
<td>9547.32</td>
<td>363812</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2017-18</td>
<td>206142</td>
<td>14401.67</td>
<td>596990</td>
</tr>
</tbody>
</table>

• स्वरोजगार योजनाएँ :-

  मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में भौतिक लक्ष्य 1200 के विरुद्ध 1194 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 1060 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि ₹ 168.59 करोड़ वितरित की गई।

  मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में भौतिक लक्ष्य 22000 के विरुद्ध 24489 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 22886 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि ₹ 258.42 करोड़ वितरित की गई।
प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2018-19 में वित्तीय लक्ष्य ₹ 49.08 करोड़ के विरुद्ध सहायता राशि ₹ 57.00 करोड़ वितरित की गई।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 379 हितग्राहियों को परियोजना राशि ₹ 46.83 करोड़ के प्रकरणों में लाभांशित किया गया।

• शासकीय भूमि का हस्तांतरण

प्रदेश में एमएसएमई हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के आधार पर माह अप्रैल, 2018 से माह मार्च, 2019 तक लिखानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित कराई गईः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>जिला</th>
<th>गाम</th>
<th>भूमि (रकम हे. मैं)</th>
<th>हस्तांतरण आदेश दिनांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>जबलपुर</td>
<td>मोहनियाँ</td>
<td>4.800</td>
<td>29.09.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>बैतुल</td>
<td>उहदल</td>
<td>8.782</td>
<td>26.10.2018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>13.582</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

• उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश के दूरस्थ अंचल के युवाओं को उद्यमिता को समझाने तथा घर से ही उद्यमियों को सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय संस्थान ‘NIMSME (निम्सएमई) हैदराबाद’ के सहयोग से ऑनलाइन उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की एप्लीकेशन तैयार की गई है। यह एप्लीकेशन निष्पल है एवं कोई भी उद्यमी कहीं से भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने के उपरांत उद्यमी को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त होता है।
• सूक्ष्म और लघु उद्यम फे सिलिटेशन काउंसिल :-

वर्ष 2018-19 में काउंसिल की 10 बैठकें आयोजित की गईं। विवाद
वर्ष के लिए 245 प्रकरण एवं 2018-19 में ग्रास 67 प्रकरण, कुल 312
प्रकरण काउंसिल के समक्ष विचारारथ रखे गये। इनमें से 14 प्रकरण
अस्थीकार किये गये तथा 52 प्रकरणों में कुल राशि ₹ 17.52 करोड़ के
समझौता आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं। शेष 246 प्रकरण 31 मार्च,
2019 की स्थिति में काउंसिल के समक्ष विचारारथ रखे गये।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(अ) निगम की संरचना :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के
अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था।
वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूर्जी ₹ 500.00 लाख है एवं इसके विस्त्र दर्द
अंशपूर्जी ₹ 282.75 लाख है। प्रदत्त अंशपूर्जी में ₹ 267.75 लाख राज्य शासन के
तथा ₹ 15.00 लाख विकास आयुक्त (हस्ताधिल्प) भारत शासन द्वारा निगम में
शेयद हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा ₹ 282.75 लाख में से ₹ 72.45
लाख का निवेश हस्ताधिल्प एवं ढांकर विकास निगम, जो कि निगम की
सहायक कम्पनी है, की अंशपूर्जी में किया गया है।

(ब) निगम के मुख्य उद्देश्य :-

(i) शासकीय विभागों हेतु उनकी आवश्यकताओं के उत्पादों का
उपार्जन:- म.प्र. भण्डार क्रय निगमों के अंतर्गत प्रदेश की लघु
उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन का व्यवस्था करना तथा
शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/उपक्रमों को उद्धित गुणवता की
सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना।

(ii) प्रदेश के हस्ताधिल्पों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को
मूलधारी म. प्र. एम्पोरियमों के मध्यम से विपणन सुविधा प्रदान
करना।
(iii) कच्चे माल की आपूर्ति।
(iv) उद्योगों की परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना।
(v) विज्ञापन डेवलपमेंट सेल के अंतर्गत ई-टेंड़रिंग तथा इकाईयों को कोशल का वितरण।
(vi) निर्माण कार्य।

(स) निगम की गतिविधियों :-

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियों संचालित की जाती हैं:-

(1) विपिन गतिविधि :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जापन क्रमांक एफ-14/2012/अ-ग्यारव, दिनांक 28.07.2015 से म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 लागू किया गया है, जिसके नियम 6 के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम को उपार्जनकर्ता अभिकरण मनोनीत किया जाकर 39 वस्तुओं को निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित किया गया था। शासन के आदेश निगम क्रमांक एफ 6-9/2012/अ-लेह्तर, दिनांक 05-09-2018 द्वारा भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन कर निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है। इन नियमों के नियम 8 के अंतर्गत निगम हेतु अनारक्षित सामग्री के प्रदाय का प्रावधान है। निगम के माध्यम से वर्तमान में शासकीय विभागों को उनकी मांग के अनुसार सामग्री का प्रदाय किया जा रहा है।

निगम द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट मांग के हस्तिगत साइकिलों के उपार्जन की कार्यवाही GeM पोर्टल पर सम्पादित की गई। GeM पोर्टल पर साइकिल के दर निर्धारण हेतु निगम द्वारा ई-विडिंग की कार्यवाही की गई। ई-विडिंग में प्राप्त दरों के आधार पर दर निर्धारण की कार्यवाही की जाकर GeM पोर्टल पर 591406 नए साइकिलों के प्रदाय हेतु
प्रदायादेश जारी किये गये, जारी किये गये प्रदायादेशों का कुल मूल्य रु. 199.69 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मार्च-2018 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रु. 802.00 करोड़ के समक्ष रु. 842.72 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस गतिविधि के अन्तर्गत माह मार्च, 2019 तक रु. 802.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रु. 841.82 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। प्रदेश की SME के विकास हेतु निगम द्वारा जारी की जा रही राज्य स्तरीय निविदाओं में टर्न ओवर में छुट दी गई है।

(2) एम्पोरियम गतिविधि :-

निगम द्वारा इस गतिविधि के अन्तर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर एम्पोरियमों का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्यालियर, जबलपुर एवं शर्मा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के एम्पोरियमों द्वारा समय-समय पर प्रदेशी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। एम्पोरियम विभाग द्वारा ऑन लाइन शॉपिंग हेतु पोर्टल www.mrignayani.com भी संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रु. 42.98 करोड़ के समक्ष रु. 33.04 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रु. 37.72 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रु. 28.62 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।
मेला प्रदर्शनी का आयोजन :-

र. निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृंखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्यास स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समय बाजार विपणन हेतु प्रास होता है।

ब. निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मण्डप का निर्माण कर संचालन किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में दिसंबर 14-27, 2018 की अवधि में प्रगति मैदान में "रूरल इंटरप्राइजेस इन इंडिया" थीम के आधार पर भाग लिया गया।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 हेतु राशि ₹ 90.00 लाख के बजट सीमा के समक्ष राशि ₹ 81.00 लाख निगम को प्रास हुए। इस आयोजन में राशि ₹ 55.66 लाख का व्यय हुआ।

स. निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बुनकरों/हस्तशिल्पियों/ कारीगरों/उद्यमियों/सुशासन, लघु और मध्यम उद्यय इकाईयों एवं मुख्यमंत्री युवा उधमी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नामांकित इकाईयों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की इकाईयों द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट के निर्यात की संभावना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मेलो/प्रदर्शनियों में भागीदारी की जाती है।

द. मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन 12 अगस्त 2005 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलो में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर सुलभ कराये जाने की स्थिति से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को केन्द्र सरकार
की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु वित्तीय सहयोग सुलभ कराने हेतु मार्गदर्शक की भूमिका का निर्याह कर रहा है।

म.प्र. ट्रेड फैयर अथॉरिटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रभाव क्रियान्वयन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के अंतर्गत म.प्र. ट्रेड फैयर अथॉरिटी का कार्यालय एवं एक्सपोटा प्रमोशन सेल की स्थापना की गई है।
इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की तनाम करने वाली इकाईयों को निर्यात के लिए असर सुलभ कराए जाने की दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एक्सपोटा प्रमोशन सेल, प्रदेश के उत्पादों को इकट्ठा रखकर हुए विदेशों में उसकी मांग का आंकलन करना, गुणवत्ता मापदंडों को जात कर उत्पादनकल्ता इकाईयों को अवगत कराना एवं निर्यात संबंधी नियमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराए सकेगा।

म.प्र. ट्रेड फैयर अथॉरिटी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलो में भागीदारी के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करती है और इन मेलो में भागीदारी पर होने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय योजनाओं पर निर्णय लेती है। अथॉरिटी द्वारा मेलो में भाग लेने वाले दल के सदस्यों का चयन कर उन्हें मेलो में भाग लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि प्रदेश के उद्योग राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों के निर्यात के अवसर तलाश कर सके।

म.प्र. लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक अथॉरिटी के कार्यकारी के रूप में सदस्य सचिव नामांकित किए गए है।

म.प्र. ट्रेड फैयर अथॉरिटी के सदस्य निम्नानुसार है :-
1. मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग - अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग निगम - उपाध्यक्ष
3. उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल - सदस्य
4. अध्यक्ष सचिवालय, म.प्र. इंडस्ट्रीयल डेवलमेंट कोर्पोरेशन - सदस्य

5. अध्यक्ष सचिवालय, म.प्र. लघु उद्योग निगम - सदस्य सचिव

इ. वर्ष 2018-19 में प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यभूत के तहत लाभार्थित जाति एवं जनजाति वर्ग की इकाईयों द्वारा 64th Summer Fancy Food Show, New York (USA) में 30 जून, 2018 से 02 जुलाई, 2018 की समयावधि में भाग लिया गया। साथ ही दिनांक 08-16 सिंतम्बर, 2018 की समयावधि में आयोजित 83rd Thessaloniki International Fair (TIF), Thessaloniki, Greece में प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यभूत के तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थित एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यभूत अनुसूचित जाति वर्ग की इकाईयों द्वारा भाग लिया गया।

(3) कच्चा माल गतिविधि :-

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लौह इस्पात का आपूर्तिकर्ता तथा उस पर मिलने वाला रिषेट देना वंद कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार की अदालती नीति, कच्चे माल पर से मूल्य निलंबण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जा रहे हैं। जिसी क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उच्च गति पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक अतिक्रमण होने आदि कई कारणों से कच्छा माल वितरण के व्यवसाय को जारी रखा जाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। इन सबके बावजूद इस गतिविधि के अन्तर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से निगम के कच्छा माल भण्डार, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्यालियर को बंद कर दिया है तथा एक मात्र कच्छा माल भण्डार भोपाल ही कार्यरत है। माह मार्च, 2019
तक इस गतिविधि के अन्तर्गत ₹ 18.20 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 38.71 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(4) सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि :-

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औपचारिक को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औपचारिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य सौंप गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्माण किया गया। कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंप गया। वर्तमान में निगम द्वारा राज्य शासन के एमएसएमई विभाग के निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों जिसमें अनुप्रृवित्त जनजाति विकास विभाग/अनुप्रृवित्त जाति विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास पंचायत विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग एवं केंद्र शासन की केन्द्रीय नवीनतय विकास समिति के कार्य सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस गतिविधि के अन्तर्गत ₹ 53.60 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹ 107.09 करोड़ का व्यवसाय हुआ है, जो कि लक्ष्य की तुलना में 200 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस गतिविधि के अन्तर्गत ₹ 24.85 करोड़ निर्माणित। फरवरी, 2019 तक लक्ष्य ₹ 22.15 करोड़ के प्रतिप्रश्न में ₹ 37.62 करोड़ का व्यवसाय कर लिया गया, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 151.38 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसएमई विभाग के लगभग राशि ₹ 50.00 करोड़ के कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार क्लस्टर के लगभग राशि ₹ 60.48 करोड़ के कार्य की स्वीकृति जारी की जा रही है। गुरूकूलम में लगभग राशि ₹ 135.00 लाख एवं एकलस्थ में लगभग राशि ₹ 5.77 करोड़ के कार्य प्राप्त हुए है एवं अन्य विभागों के कार्य प्राप्त होना संभवित है।
(5) टेस्टिंग लेब :-

निगम द्वारा इंदौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है। निगम की इंदौर परीक्षण प्रयोगशाला को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल अंड्रीटेशन बोर्ड फोर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरेटरीज), वी.आई.एस. (भारतीय मानक व्यूह), एफ.डी.ए. एगमा आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर को भी आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोगशालाएं सा मंग्रेय, निर्माण सामग्रियाँ, खाद्य तत्वों तथा औषधियों इत्यादि की जांच के लिए आवश्यक अनेक सुविधाओं से सम्बन्धित हैं। ये प्रयोगशालाएं सरकारी एवं अर्थ सरकारी विभागों के लिए प्रामाणीकरण एजेंसी के रूप में भी कार्य करती हैं। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की 50 प्रतिशत 'ग्रांट-इन-एड-योजना' अन्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग ₹ 65.00 लाख की लागत से अत्यधिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य ₹ 106.12 लाख के समक्ष ₹ 110.96 लाख का राजस्व प्राप्त किया है।

(6) विज्ञान डेव्लपमेंट सेल :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम केंद्रीय शासन की कोयला वितरण नीति (NCDP-2007) के तार्कित्त में, प्रदेश के MSME उपलब्धिों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित एजेंसी SNA है। निगम के 'विज्ञान डेव्लपमेंट सेल (BDC)' द्वारा यह गतिविधि संचालित की जाती है।

निगम में विज्ञान डेव्लपमेंट सेल (BDC) का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। तदनंतर वर्ष 2005-06 में लघु उद्योग निगम द्वारा कोयला कंपनी से कोयला आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की कोयला प्राप्त करने की इच्छुक
MSME इकाईयों के मध्य कोयले के वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। म.प्र. शासन, तत्समय वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, वर्तमान में ओपरेशन नीति एवं निषेध प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिप्रेक्ष्य क्रमांक एक 13-3/05/अ-ग्यारह दिनांक 4/7/2008 के द्वारा प्रशदेश के सूचक, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 4200 में.ट. तक हो, को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोयले का वितरण करने हेतु प्रक्रिया एवं नीति लागू की गई थी, जिसका पालन करते हुए निगम के बी.डी.सी. विभाग द्वारा प्रशदेश के इकाईयों को कोल का वितरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक कोयला वितरण का कार्य निरंतर जारी रहा, परन्तु वाणिज्य में व्यापार मंडी और अक्सर वाज, 2016 में कोयला कंपनियों द्वारा ई-आक्षेप के कोयले का मूल्य 20 प्रतिशत तक कम कर दिया जाने के कारण SNA के माध्यम से वितरित किये जाने वाले कोयले का मूल्य तुनलातम कुल से अधिक हो गया। इसके फलस्वरूप ओपरेशन इकाईयों ने वर्ष 2016-17 में SNA (म.प्र. ल.उ.लि.) के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में रूचि नहीं ली।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA (म.प्र. ल.उ.लि.) के माध्यम से कोयला वितरण को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु NCDP-2007 में संशोधन करते हुए उपरोक्त वार्षिक कोयले की खपत 4200 में.ट. की सीमा को बढ़ा कर अब 10,000 में.ट. कर दिया गया है। MSME इकाईयों के अतिरिक्त अन्य बडे उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 10000 में.ट. तक है, को SNA के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस गतिविधि के अन्तर्गत निरंक व्यवसाय हुआ है।
(7) वित्तीय परफारमेंस :-

निगम की वित्तीय बाजा वर्ष की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

(रू. लाखों में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>वर्ष</th>
<th>कुल व्यवसाय</th>
<th>+लाभ/-हानि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2014-15</td>
<td>100598.05</td>
<td>(+) 1631.48 (कर पक्षात्) (अनकेशित)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2015-16</td>
<td>93832.38</td>
<td>(+) 2030.54 (कर पक्षात्) (अनकेशित)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2016-17</td>
<td>94232.57</td>
<td>(+) 1312.12 (कर पक्षात्) (अनकेशित)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2017-18</td>
<td>103921.88</td>
<td>(+) 1726.47 (कर पूर्व) (अनकेशित)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2018-19</td>
<td>95164.57</td>
<td>(+) 1107.94 (कर पूर्व) (अनकेशित)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक रू. 939.13 लाख के लघु के समक्ष रू. 951.64 करोड़ का व्यवसाय कर लगभग रू. 11.08 करोड़ का अनुमानित कर पूर्व लाभ (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) अर्जित किया गया है।

निगम के वर्ष 2015-15 के लेखे पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रकाशन की कार्यवाही प्रतिवारी है। प्रकाशन उत्पादन लेखे विधानसभा में रख दिए जाएंगे। वर्ष 2016-17 के लेखों का अनुपूरक अंकेशण कार्य शेष है।

**ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण**

क्षेत्र के उत्पादों के आयात-निर्यात तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की 'ग्वालियर व्यापार मेला' में प्रचुर संभावनायें हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार जगत में देश में ही नहीं अपनी खास पहचान बनाई है।

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011-इक्कीस-अ (प्रा.), दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिकलम, 1996'
प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, व्यालियर व्यापार मेला प्राधिकरण नियाय गठित किया गया। म. प. शासन, तत्कालीन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, वर्तमान में आधुनिक नीति एवं नियोजन प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-13-1/03/अ-ग्यारह दिनांक 28.12.2013 के अनुसार आयुक्त, ग्यालियर सम्मान, व्यालियर को ग्यालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नामांकित किया गया है।

आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्याधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है, जो मेला आयोजन से लेकर कार्यालय तक, प्रत्येक स्तर पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

104 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले मेला परिसर में 1400 दुकानें, 126 कोठरियां, 44 एम.बी.ए., 37 डी सेक्टर तथा 82 दुकानें एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नवीन दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुलों भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल पर रहस्यमय मात्रा में उपलब्ध है। मोटे रूप में मेला परिसर इलेक्ट्रिकल सेक्टर, व्यापारिक संस्थान, लगेज सेक्टर, डंगल सेक्टर, मनोरंजन सेक्टर, प्रदर्शनी तथा पशु मेला आदि क्षेत्रों में विभाजित है।

मेला परिसर में कई उद्यान विकसित हैं। मेला परिसर में कला मंडित तथा क्रमुक्कार रंगमंच हैं, जिनमें मेला अधिगम द्वारा विकसित किए गए संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेला परिसर में शासनिक भवन स्थित है। इसके अतिरिक्त दो स्थाई प्रैटिस मेले के मुख्य गेट एवं गेट नं. 05 पर स्थापित हैं।

वर्ष 2018-19 में व्यापार मेले का आयोजन 01 जनवरी से 27 फरवरी तक किया गया है।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला अधिगम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित संस्कृतिक कार्यक्रम यथा धार्मिक नाट्य, अभिनेत्री भारतीय मुशायरा और मुकबला-ए-कवाली, राष्ट्रीय स्तर के अभिनेताओं/कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियाँ दी गईं। संस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाल, स्कूली छात्र-छात्राओं, की आधुनिक रूचि के कार्यक्रम भी
आयोजित किये गये। जिसमें 08 दिवसीय बाल फिल्में आयोजित की गईं, साथ ही विकलांग ट्राई-साइकिल रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता की अभिमुखि के अनुसार इस वर्ष स्थानीय, जिला एवं राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। साथ ही इस वर्ष महिला कुश्ती दंगल प्रतियोगितायें भी आयोजित की गईं। इस वर्ष में राज्य/अर्थशास्त्रीय विभागों तथा अर्थशास्त्रीय संस्थाओं द्वारा जानवरपंच एवं आकर्षण प्रदर्शनीय लगाई गईं।

इस वर्ष प्राधिकरण द्वारा मेले के 113 वर्षों की दुलभ्य छायाचित्र एवं इतिहास की प्रदर्शी लगाई गई, जिसे सैलानियों द्वारा काफी सराहा गया।

मेला प्राधिकरण स्थान: एक विशुद्ध व्यापारिक निकाय है। इसके अन्य कोई कार्यालय या संस्था नहीं है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

म. प्र. राज्य वस्त्र निगम की स्थापना अक्टूबर 1970 में प्रदेश की टेकस्टाइल मिलों के संचालन हेतु की गई थी। टेकस्टाइल कंपार्शन द्वारा प्रदेश की हाथकरघा गतिविधियों का संचालन किया गया। वर्ष 1995-96 से निरंतर घटे में चलने के कारण राज्य शासन द्वारा निगम के समस्त कार्यकलाप दिनांक 31.10.2000 से बंद कर दिये गये।

निगम की स्थायी संपत्ति उपयोग आयुक्त, उपयोग संचालनालय, म.प्र. को जुलाई, 2015 में डीड ऑफ असाइनमेंट के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई। 31 मार्च, 2018 की स्थिति में निगम की संपत्ति एवं दायित्वों को डीड ऑफ असाइनमेंट के माध्यम से दिनांक 27.03.2018 को राज्य शासन को हस्तांतरित कर दी गई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(5) के तहत दिनांक 27.06.2018 को जजिस्टर से हटाते हुये कंपनी का विघटन कर दिया गया।
भाग - दो
बजट विहिंगावलोकन

उद्योग संचालनालय

बजट नियंत्रण अधिकारी - उद्योग आयुक्त
बजट सारंश

(राशि लाख ₹ में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>बजट शीर्ष</th>
<th>वर्ष 2017-18</th>
<th>वर्ष 2018-19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>बजट आवंटन</td>
<td>व्यय</td>
</tr>
<tr>
<td>मांग संख्या - 35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>राजस्व अनुभाग</td>
<td>मतदेय</td>
<td>76904.85</td>
</tr>
<tr>
<td>मांग संख्या - 41 (अनु. जनजाति)</td>
<td>मतदेय</td>
<td>2.02</td>
</tr>
<tr>
<td>पूंजी अनुभाग</td>
<td>मतदेय</td>
<td>24200.03</td>
</tr>
<tr>
<td>मांग संख्या - 64 (अनु. जाति)</td>
<td>मतदेय</td>
<td>101104.88</td>
</tr>
<tr>
<td>मांग संख्या - 64 (अनु. जाति)</td>
<td>मतदेय</td>
<td>2.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## महायोग (35 + 41 + 64)

<table>
<thead>
<tr>
<th>महायोग (35 + 41 + 64)</th>
<th>मतदेय</th>
<th>वर्ष 2017-18</th>
<th>वर्ष 2018-19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>बजट आवंटन</td>
<td>व्यय</td>
<td>बजट आवंटन</td>
<td>व्यय</td>
</tr>
<tr>
<td>मतदेय</td>
<td>101176.49</td>
<td>100154.91</td>
<td>85476.75</td>
</tr>
<tr>
<td>मांग संख्या - 64 (अनु. जाति)</td>
<td>मतदेय</td>
<td>2.02</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के खोतों से ही किया जाता है। निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाने के मण्डप का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जाता है। "भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018" हेतु राशि ₹. 90.00 लाख के बजट सीमा के समक्ष राशि ₹. 81.00 लाख निगम को प्राप्त हुई। इस आयोजन में राशि ₹. 55.66 लाख का व्यय हुआ। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रभावण प्रति उयोग संचालनालय को तंत्रिक्त किया जा चुका है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

(राशि लाख ₹. में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>विवरण</th>
<th>2016-17</th>
<th>2017-18</th>
<th>2018-19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सकल आय</td>
<td>₹ 497.37</td>
<td>₹ 541.39</td>
<td>₹ 598.02</td>
</tr>
<tr>
<td>सकल व्यय</td>
<td>₹ 411.13</td>
<td>₹ 428.49</td>
<td>₹ 500.04</td>
</tr>
<tr>
<td>लाभ</td>
<td>₹ 86.24</td>
<td>₹ 69.78</td>
<td>₹ 97.98</td>
</tr>
</tbody>
</table>
भाग - तीन
राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ
उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(राशि लाख ₹. में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना</th>
<th>वर्ष 2017-18</th>
<th>वर्ष 2018-19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>बजट आवंटन</td>
<td>व्यय</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2851-1464</td>
<td>जिला उद्योग केन्द्र मतदेव</td>
<td>5067.32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>भारित</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2851-3370</td>
<td>मध्यवर्ती कार्यालय मतदेव</td>
<td>1333.66</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>भारित</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2851-5815</td>
<td>परिस्थितियुद्योग कार्यालयों की स्थापना</td>
<td>297.52</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2851-8732</td>
<td>इंडस्ट्रियल फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन</td>
<td>0.60</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2851-6751</td>
<td>म.प. राज्य यस निगम के विचित्र वंदनकरण की कार्यवाही हेतु सहायता (मतदेव)</td>
<td>17.88</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>53- दिक्षितन का भुगतान (भारित)</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2851-6758</td>
<td>राजकुमार मिल्स इंदौर के विचित्र वंदनकरण की कार्यवाही वाहत</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र.</td>
<td>योजना</td>
<td>वर्ष 2017-18</td>
<td>वर्ष 2018-19</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>बजट आयतन</td>
<td>त्याग</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>2852-7300 स्व. श्री सुशीलचंद्र दरमी पुरस्कार योजना</td>
<td>0.01</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>2851-0725 औपचारिक संस्थानों का संचारण</td>
<td>0.01</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>योजना 2851 मतदेय</td>
<td>मतदेय</td>
<td>6717.01</td>
<td>6323.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>भारत</td>
<td>2.02</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(ब) राज्य योजनायें 2851 - श्राम तथा लघु उद्योग</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2851-6927 बीमार लघु उद्योगों के पुनरीच्छयन की योजना</td>
<td>20.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2851-7690 पारम्परिक बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदान / व्याय अनुदान</td>
<td>2001.01</td>
<td>2000.27</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2851-1175 यामीण उधमी विकास योजना प्रशिक्षण</td>
<td>117.20</td>
<td>7.20</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2851-7028 पारम्परिक बुनकरों के आर्थिक सामाजिक सशीक्षण कार्य एवं आचरण रीककरण</td>
<td>0.01</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2851-7064 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेल्डर डेवलपमेंट मालेंटिंग सर्वोष्ट</td>
<td>100.00</td>
<td>90.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2851-6750 अध्येयों संचालन विकास</td>
<td>0.01</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>2851-7363 पुरातन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों का अनुरक्षण</td>
<td>50.00</td>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र.</td>
<td>योजना</td>
<td>वर्ष 2017-18</td>
<td>वर्ष 2018-19</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>बजट आबंटन</td>
<td>त्यय</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>2851-2124 एम.एस.एम.ई. प्रोट्साइड योजना</td>
<td>15800.01</td>
<td>15800.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>2851-8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य</td>
<td>72.50</td>
<td>65.68</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2851-5101 सीपेट को अधोसंरचना अनुदान</td>
<td>400.00</td>
<td>400.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2851-7432 अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रधान-प्रसार योजना</td>
<td>376.20</td>
<td>365.80</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>2851-6635 म.प. राज्य उपयोग निगम के विभिन्न बंदीकरण एवं परिसंपत्तियों का रखरखाव</td>
<td>66.00</td>
<td>53.74</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2851-6646 म.प. ट्रेड फेरर अथारिटी को आर्थिक सहायता</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>2851-7215 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0101</td>
<td>15346.50</td>
<td>15334.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0102</td>
<td>6071.25</td>
<td>6071.25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0103</td>
<td>9057.14</td>
<td>9057.14</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>2851-7589 मुख्यमंत्री युवा उदामी योजना</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0101</td>
<td>13100.00</td>
<td>13081.68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0102</td>
<td>4550.00</td>
<td>4550.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0103</td>
<td>3050.00</td>
<td>3050.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>2851-6819 विपुल देशक प्रतिपूर्ति</td>
<td>0.01</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>2851-2373 इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप योजना</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>योग</td>
<td>70187.84</td>
<td>69987.37</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>महायोग (अ) + (ब)</td>
<td>76904.85</td>
<td>76310.54</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>आर्थिक</td>
<td>2.02</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र.</td>
<td>योजना</td>
<td>वर्ष 2017-18</td>
<td>वर्ष 2018-19</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>बजट आयांत</td>
<td>व्यय</td>
<td>बजट आयांत</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4851-6749</td>
<td>भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (सर्विस चाले)</td>
<td>250.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4851-6750</td>
<td>अधीरसंचालन विकास</td>
<td>7000.01</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4851-5380</td>
<td>ओटोमोबाइल्स टेस्टिंग टेस्ट अनुसार भू-अर्जन सूचीबद्ध</td>
<td>16050.01</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4851-7340</td>
<td>नवीन जिला उपयोग केन्द्रों के नयांन का निर्माण</td>
<td>300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4851-0735</td>
<td>एनजीवीशन सेंटर की स्थापना</td>
<td>200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>4875-6820</td>
<td>वज्नदेश की स्थापना</td>
<td>300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>4875-7627</td>
<td>मिलिनीट रूम की स्थापना</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>4875-6481</td>
<td>ग्यासिल्य व्यापार मेला प्रधानित को अनुमान</td>
<td>100.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

योग पूंजी अनुभाग (मल्टाइय) 24200.03 23800.12 7910.05 7093.74

मांग संख्या - 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना</th>
<th>वर्ष 2017-18</th>
<th>वर्ष 2018-19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2851-7891</td>
<td>राजी दुर्गावती सहायता योजना</td>
<td>28.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना</th>
<th>वर्ष 2017-18</th>
<th>वर्ष 2018-19</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2851-7891</td>
<td>राजी दुर्गावती सहायता योजना</td>
<td>42.86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

महा योजना (मांग संख्या 35 + 41 + 64) मल्टाइय | 101176.49 | 100154.91 | 85476.76 | 78361.70 |
| भारत | 2.02 | 0.00 | 28.76 | 26.74 |
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ASPIRE (A Scheme for Promotion of Innovation Rural Industry & Entrepreneurship) के अन्तर्गत देवास मध्यप्रदेश में लेदर इंक्यूबेशन सेंटर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, देवास के औद्योगिक क्षेत्र कर.2 स्थित प्रशासकीय भवन में स्थापित किया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के देवास स्थित जिले में लेदर इंक्यूबेशन सेंटर से 05 वर्ष की अवधि में 300 उद्यमियों तथा 2000 स्किल्ड मैन पावर के लिए प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में रोजगारन्मुखी योजना प्रारंभ होगी एवं लेदर इंक्यूबेशन सेंटर के मध्यम से स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश में लेदर क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। वर्तमान में इस केंद्र में स्किल्ड मैन पावर के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना हेतु भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालय द्वारा राशि रू. 90.20 लाख प्रदान की गई है तथा उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश से राशि रू. 71.12 लाख प्राप्त हुई है।

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ दिनांक 30.01.2017 को किया गया। सेंटर के सुयारूप से संचालन करने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम, एफ.डी.डी.आई, बन्धु, जिला उन्नयन (उ.प.) तथा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, देवास के मध्य विपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया है।

सेंटर में दिनांक 01.02.2017 से प्रशिक्षण दिया जाने का प्रारंभ हो गया है। एफ.डी.डी.आई. द्वारा इस केंद्र में 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 413 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं 212 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की एसप्लायर योजना के अन्तर्गत कटनी (म.प.) में एक Livelihood Based Incubation Centre स्थापित किए जाने की स्थीतिक भारत सरकार की ओर से प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत कटनी में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर बढाने के उद्देश्य से एक फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जायेगा।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्षमता विकास कराए जाने हेतु Scheme for capacity Building in Textile
Sector (SCBTS), जिसे समर्थ नाम दिया गया है, हेतु निगम द्वारा आर.एफ.पी. में भाग लिया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा/युवतियों में से 70% तक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार की ओर से योजना का अनुमोदन प्रतिष्ठित है।

**ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण**

व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, प्रोजेक्ट्स व संबंधित सेवाओं के संरचनात्मक व विकास के लिये आयात-निर्यात हेतु मध्य प्रदेश एक्सपोटार फेसिलिटेशन सेंटर, मेला परिसर में स्थित है। इसमें केंद्रीय व राज्य के शासनीय व अशासनीय संस्थानों के आयोजन वर्ष भर किये जाते हैं। मेला अवधि में अन्य व्यापारिक संस्थाओं अपने संयुक्त स्टॉल्स लगाते हैं। इससे आय का यही स्रोत मेला प्राधिकरण को है।
# भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

## विभाग स्तर

### समयमान वेतनमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>आदेश क्रमांक एवं दिनांक</th>
<th>किये गये कार्य का विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>एफ 115/2016/बी-तेहतर, दिनांक 04.04.2018</td>
<td>01 महाप्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान स्थीरकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>एफ 1-4/2016/बी-तेहतर, दिनांक 28.04.2018</td>
<td>04 सहायक संचालक/प्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान स्थीरकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>एफ 1-32/2018/बी-तेहतर, दिनांक 18.06.2018</td>
<td>01 संयुक्त संचालक को सहायक संचालक पद का द्वितीय समयमान वेतनमान स्थीरकृत</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### नियुक्तियाँ

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>आदेश क्रमांक एवं दिनांक</th>
<th>किये गये कार्य का विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>एफ 1-111/2017/बी-तेहतर, दिनांक 05.01.2018</td>
<td>01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति कार्य किया गया</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>एफ 1-6/2018/बी-तेहतर, दिनांक 24.01.2018</td>
<td>12 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक के नियुक्ति आदेश जारी किये गये</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>एफ 1-111/2017/बी-तेहतर, दिनांक 24.03.2018</td>
<td>01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति कार्य किया गया</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>एफ 1-111/2017/बी-तेहतर, दिनांक 15.05.2018</td>
<td>01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>एफ 1-111/2017/बी-तेहतर, दिनांक 25.05.2018</td>
<td>01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया</td>
</tr>
</tbody>
</table>
विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण

<table>
<thead>
<tr>
<th>विवरण</th>
<th>कुल लंबित प्रकरणों की संख्या</th>
<th>प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए</th>
<th>लंबित प्रकरणों की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>विभागीय जांच</td>
<td>07</td>
<td>00</td>
<td>07</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकरण</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अपील प्रकरण</td>
<td>04</td>
<td>00</td>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>लोकायुक प्रकरण</td>
<td>03</td>
<td>00</td>
<td>03</td>
</tr>
</tbody>
</table>

सूचना का अधिकार

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 25 आवेदन पत्र प्राप्त थे, जिनमें से समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया।
(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 04 अपील प्राप्त हुई, जिनमें से समस्त अपीलों का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

समयमान वेतनमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>आदेश क्रमांक एवं दिनांक</th>
<th>किये गये कार्य का विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>38/स्था/(1-ब)/2018/555, दिनांक 23.04.2018</td>
<td>01 स्टेनो टाइपस्ट को प्रथम समयमान वेतनमान स्थीति कृत</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09/स्था/(1-ब)/2010/420, दिनांक 12.06.2018</td>
<td>07 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्थीति कृत</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>32/स्था/(1-ब)/2009/421, दिनांक 12.06.2018</td>
<td>05 सहायक प्रबंधकों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्थीति कृत</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>आदेश क्रमांक एवं दिनांक</td>
<td>किये गये कार्य का विवरण</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>11/स्था/(1-ब)/2010/567, दिनांक 28.08.2018</td>
<td>01 सहायक वर्ग-2 को समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>39/स्था/(1-ब)/2018/579, दिनांक 10.09.2018</td>
<td>07 शीघ्रलेखक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>39/स्था/(1-ब)/2018/580, दिनांक 01.09.2018</td>
<td>01 सहायक वर्ग-3 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>39/स्था/(1-ब)/2018/581, दिनांक 01.09.2018</td>
<td>03 सहायक वर्ग-2 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>39/स्था/(1-ब)/2018/582, दिनांक 01.09.2018</td>
<td>06 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>39/स्था/(1-ब)/2018/583, दिनांक 01.09.2018</td>
<td>01 सहायक वर्ग-2 को प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>39/स्था/(1-ब)/2018/584, दिनांक 01.09.2018</td>
<td>07 भूत्यों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11/स्था/(1-ब)/2010/684, दिनांक 12.11.2018</td>
<td>01 सहायक वर्ग-1 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत</td>
</tr>
</tbody>
</table>

नियुक्तियाँ

- उद्योग संचालनालय म.प. के आदेश क्रमांक 218, दिनांक 31.03.2018 द्वारा अनुसूचित जनजाति के 01 तथा अनुसूचित जनजाति बैंकलोंग के 01 उम्मीदवार को सहायक प्रबंधक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प. के आदेश क्रमांक 64, दिनांक 27.01.2018, संशोधित आदेश क्रमांक 105, दिनांक 27.02.2018 द्वारा 01 अनारक्षित महिला उम्मीदवार को सहायक वर्ग-3 पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प. के आदेश क्रमांक 65, दिनांक 27.01.2018 द्वारा 01 अनुसूचित जाति बैंकलोंग उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. द्वारा 07 अनुक्रम नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

विभिन्न संवर्गों में पदों की स्थिति (31.03.2019 की स्थिति में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>पदनाम</th>
<th>स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)</th>
<th>कार्यरत पदों की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रथम श्रेणी</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>उद्योग आयुक</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>संचालक</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>अपर संचालक, उद्योग</td>
<td>6 = (3 + 3)</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>संयुक्त संचालक, उद्योग</td>
<td>16 = (8 + 8)</td>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>संयुक्त संचालक, वित्त</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>महाप्रबंधक/उप संचालक उद्योग</td>
<td>72 = (58 + 14)</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>97</td>
<td>57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>द्वितीय श्रेणी</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>प्रबंधक/सहायक संचालक</td>
<td>227 = (212+15)</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>प्रशासकीय अधिकारी</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>वरिष्ठ निज सहायक</td>
<td>09</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>लेखा अधिकारी</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>238</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>तृतीय श्रेणी</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>सहायक प्रबंधक</td>
<td>330</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>अधिकारी</td>
<td>08</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>सहायक अधीक्षक</td>
<td>03</td>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>सहायक वर्ग-1</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>सहायक वर्ग-2</td>
<td>159</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>सहायक वर्ग-3</td>
<td>268</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>पदनाम</td>
<td>स्थीतिक पद (विभाग + प्रतिनिधियुक्त)</td>
<td>कार्यरत पदों की जीवितता</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>कम्प्यूटर ऑपरेटर</td>
<td>02</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी</td>
<td>05</td>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>कम्प्यूटर लेखा परीक्षक</td>
<td>05</td>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>लेखापाल</td>
<td>64</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>लिस्ट सहायक</td>
<td>26</td>
<td>07</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>शीर्षलेखक</td>
<td>79</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>स्टेंटोपोपस्ट</td>
<td>90</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>वाहन चालक</td>
<td>63</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>मिसी (सांख्येतर पद)</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| योग    | 1163                                           | 740                                  |

<table>
<thead>
<tr>
<th>चतुर्थ श्रेणी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| योग    | 301                                             | 197                                  |
| महायोग | 1799                                            | 1150                                 |

**स्थानांतरण**

वर्ष 2018-19 में दिसंबर, 2018 तक स्थानांतरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>पदनाम</th>
<th>प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण</th>
<th>स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>अपर/संयुक्त/याहाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)</td>
<td>05</td>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)</td>
<td>04</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>सहायक प्रबन्धक (कार्यपालिक तृतीय)</td>
<td>02</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र.</td>
<td>पदनाम</td>
<td>प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण</td>
<td>स्थान के व्यय पर स्थानांतरण</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>तृतीय श्रेणी</td>
<td>02</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>चतुर्थ श्रेणी</td>
<td>00</td>
<td>02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पदक्रम सूची

1. विभिन्न संरचन के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।
2. अराजपत्रित संरचन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची में अभीष्टक, सहायक अभीष्टक, निज सहायक, सहायक वर्ग - 1, सहायक वर्ग - 2, शीघ्रलेखक, स्टेनोटाइपिस्ट, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जुलियर ऑडिटर व इस्ती की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची में चौकीदार, जमादार, एवं दफ्तरी की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।

पेंशन संबंधी जानकारी

(01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>पूर्व वर्षों के लंबित प्रकरण</th>
<th>वर्ष 2018-19 में प्रामाण्य प्रकरण</th>
<th>कुल प्रकरण की संख्या</th>
<th>निराकृत प्रकरण की संख्या</th>
<th>शेष लंबित प्रकरण की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>प्रथम</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>द्वितीय</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>तृतीय</td>
<td>02</td>
<td>02</td>
<td>04</td>
<td>02</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>चतुर्थ</td>
<td>00</td>
<td>05</td>
<td>05</td>
<td>03</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>04</td>
<td>07</td>
<td>11</td>
<td>05</td>
<td>06</td>
</tr>
</tbody>
</table>
वर्ष 2018-19 में आयोजित प्रशिक्षण :-

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 01.01.2018 से 31.01.2019 तक लगभग 271 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

विभागीय जांच

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>प्रकरणों की संख्या</th>
<th>निराकृत प्रकरण</th>
<th>लंबित प्रकरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>प्रथम श्रेणी</td>
<td>04</td>
<td>00</td>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>द्वितीय श्रेणी</td>
<td>01</td>
<td>00</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>तृतीय श्रेणी</td>
<td>06</td>
<td>03</td>
<td>03</td>
</tr>
</tbody>
</table>

न्यायालयीन प्रकरण

उपोक संचालनालय में 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न न्यायालयों में कुल 335 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 60 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल विभागीय सेवाओं (एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूर्व अनुदान, व्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्व/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्व/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से स्नातक लिया) के आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उयोग संचालनालय द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 11 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें समस्त अपीलें निराकृत की गई तथा इसी अवधि में सूचना के अधिकार अंतर्गत 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 80 आवेदन निराकृत किए गए।
सिटीजन चार्टर

परिस्थितीय उद्योग कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यकलापों
के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में सिटीजन चार्टर भी लागू किया
गया है।

ऑडिट

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में महालेखकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश की
199 कार्यालय निराकरण हेतु उद्योग संचालनालय, म.प्र. के अंतर्गत शेष है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कम्पनी के
रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेंडम एवं अटिकल्स आफ
एसोसिएशन के प्राधिकृतों के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में
संचालक मण्डल की मार्च, 2019 तक 04 बैठके आयोजित हो चुकी हैं। कार्यालयीन
कार्यों को समय सीमा में निपटाने हेतु निगम में सिटीजन चार्टर लागू किया गया है।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
प्रभावशील किया गया है। निगम के अधीनस्थ सभी कार्यालयों से लोक सूचना
अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुख्यालय पर अपील अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुख्यालय, भोपाल में वर्ष
2018-19 में 103 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 101 का निराकरण किया जा चुका
है।

आलोच्य अवधि में राज्य विधानसभा द्वारा निगम से सम्बंधित कोई विपरेतवाद
पारित नहीं किया गया है। निगम के अधीनस्थ सभी कार्यालयों से लोक सूचना
अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी का लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई
है। महामार्च, 2019 तक निगम के कुल 135 न्यायालयीन प्रकरण विचारपीठ
न्यायालयों में लेखित/विचारपीठ हैं।

निगम में कुल 249 नियोजित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम में 11
अधिकारी एवं कर्मचारी संबंध/अनुबन्ध पर कार्यरत है।
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

- तत्समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के जापन क्रमांक एक 11-10/11/बी/2001 दिनांक 28.03.2002 द्वारा मेला परिसर की 15 एकड़ भू-भाग एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं फेमिली रिक्रिएशन सेंटर निर्माण हेतु 15 वर्षीय पट्टे पर आवंटित की गई थी, जिसकी अवधि अकटूबर, 2018 में समाप्त हो चुकी है।
- वर्ष 2018-19 में मेले में ऑटोमोबाईल सेक्टर में विक्रय होने वाले वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई, जिससे ऑटोमोबाईल सेक्टर में 405 करोड़ का व्यापार हुआ।
- मेला परिसर में इस वर्ष प्राधिकरण द्वारा 50 नवीन दुकानों, 20 लाख रुपयें की लागत से एक बड़ा सुलभ कॉम्पलेक्स, 27 लाख रुपयें की लागत से 08 छोटे सुलभ कॉम्पलेक्स एवं यूरिनल का निर्माण, 8 लाख रुपयें की लागत से 5 नतकूप खनन कार्य और 17 लाख रुपयें की लागत से रंगाई व पुताई कार्य कराया गया।
- विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरों के लिये अभिभाषकों की सेवायें ली जा रही है।
भाग-पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 :- राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई है, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावशील है। सूहम, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अनुसार सहायता सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल रखी गई है। योजना अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहायता समिति गठित की गई है। योजना अंतर्गत इकाइयों को उद्योग विकास अनुदान, इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता, अपशिष्ट प्रवंधन प्राप्ति में हेतु सहायता, निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति और पोवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

• म.प. लघु उद्योग निगम में नवीन ऑनलाइन इण्डेंट तथा सप्लाई आईडी जारी किये जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है।
• निगम द्वारा वेबसाइट www.mpsme.in प्रारंभ की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य नियोजकों की जानकारी उपलब्ध रखी जाती है।
• निगम द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्रालय की इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत जबलपुर में ₹ 6075.72 लाख की लागत से रेडीमेड गारमेंट काम्पलेक्स की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ पर है।
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा पूर्ण मेला अवधि में शिल्प बाजार का आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक शिल्पियों ने अपने हाथ से बनाये हुये सामान का विक्रय किया। इससे मेलें को राशि 12 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई।

प्राधिकरण द्वारा माह मई-जून 2018 में एक माह के लिये बड़े स्तर पर श्रीमकालीन समर नाईट मेलें का आयोजन किया गया। उक्त मेलें की सैलानियों ने अत्यधिक सराहना की।

प्राधिकरण द्वारा माह अक्टूबर, 2018 में दीपावली के अवसर पर 10 दिवसीय डिस्काउंट मेलें का आयोजन किया गया।
भाग - छः
विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

विभागीय महत्त्वपूर्ण नियम/अधिनियम/निर्देशों की विस्तृत जानकारी
संबंधित नियम/अधिनियम/निर्देश की नीचे उल्लिखित लिंक पर उपलब्ध है :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006


2. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017


3. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016


4. म. प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फॅसिलिटेशन काउंसिल नियम 2017


5. म. प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015

6. म. प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015


7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की लोक सेवा के प्रदान करने की गारांटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं


8. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका


9. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम


10. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017


11. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप योजना 2016

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा ग्वालियर मेला गाइड 2019 का प्रकाशन किया गया।
भाग - सात
सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित एमएसएमई को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ करने का तथा उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित व्यक्तियों को विभिन्न स्वारोजगर योजना जैसे- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वारोजगर योजना, मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सुलभ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वारोजगर के अवसर सुजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्जिकल व समस्त औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2017, मध्यप्रदेश इंक्व्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति, 2016 एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वारोजगर के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वारोजगर के अवसर बढाने के लिए निम्नलिखित संसाधन एवं निम्नलिखित कौशल के दोहर करे विशेष बन दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसर स्तर के साथ व्यापारों की लेनकौशल की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था तथा गैर कृषि शामिल उद्योगों को सम-उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प.लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के उद्यमियों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विश्वसनीय उत्पादन कारक तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करने के उनके उत्पादन में सहज प्रयत्नशील है। निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित अपने एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरें
तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, महेशभरी, कोसा इत्यादि साड़ीयाँ बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निरन्तर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासर्थ है।

**ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण**

प्राधिकरण का यह मेला, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो देश के अन्य प्रदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। मेला आयोजन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अति-आकर्षक एवं सराहनीय होते हैं।
भाग - आठ

महिलाओं के लिए किये गये कार्य

• स्टार्टअप को सहायता :-
  म. प. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016 अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त व्याज अनुदान एवं किराया अनुदान का प्राप्ति किया गया है।

• स्वरोजगार योजनाएँ :-
  उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के तहत महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युथ उद्यमी योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज अनुदान का प्राप्ति किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज अनुदान और सामाजिक आवेदक की तुलना में दोगुनी माजिन मनी सहायता का प्राप्ति किया गया है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना का नाम</th>
<th>वर्ष 2018-19 में लाभान्वित महिलाओं की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>मुख्यमंत्री युथ उद्यमी योजना</td>
<td>291</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना</td>
<td>5520</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>5877</td>
</tr>
</tbody>
</table>

• महिला प्रकोष्ठ का गठन :-
  विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकारिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

कृपया
भारत स्वरूप द्वारा प्रदेश को सेवासिद्धान्त कार्यकाल, स्टार्टअप एवं जेम हेलु कीम से गये उत्सृक्त कार्यों हेलु पुरस्कृत किया गया